क्रम-संख्या—184

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 जुलाई, 2007

आषाढ़ 22, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1241/79—वि—1—7—01—(क)32-2007

लखनऊ, 13 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 12 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन)

अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए :

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (5), (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेंगी, अर्थात :–

"(5) परिषद् में निम्नलिखित होंगे,–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार–अध्यक्ष, पदेन,

(ख) तीन उपाध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अशासकीय सदस्य होंगे,

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार–पदेन सदस्य,

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार–पदेन सदस्य,

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार–पदेन सदस्य,

(च) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश–पदेन सदस्य,

(छ) निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रूड़की–पदेन सदस्य,

(ज) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद–पदेन सदस्य,

(झ) मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकस परिषद–पदेन सदस्य,

(ञ) वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद–पदेन सदस्य,

(ट) मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद–पदेन सदस्य,

(6) खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) खण्ड (छ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने विभाग में, अपने से ठीक बाद वाले उपलब्ध कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और मतदान करने का भी अधिकार होगा।

(7) खण्ड (ख) में अभिदिष्ट उपाध्यक्ष की नियुक्ति को गजट में विज्ञापित किया जायेगा।"

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "अध्यक्ष या सदस्य" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 5 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"5 (1) उपाध्यक्ष, तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके उसका कार्यकाल पहले ही समाप्त न कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष का कार्यकाल

(2) उपाध्यक्ष, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके, स्वयं लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।"

धारा 6 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

उपाध्यक्ष पद के सम्बन्ध में व्यवस्था

"6—उपाध्यक्ष. को. परिषद की निधि से, ऐसा पारिश्रमिक दिया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।"

धारा 86 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 86 में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश, अध्यादेश संख्या 9 सन् 2007

7—(1) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) का अधिनियमन उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना उसके निगमन और कार्यकरण की व्यवस्था करने के लिये किया गया था। उक्त अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को पदेन अध्यक्ष के रूप में तथा वित्त, नगर विकास, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों और मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, रूड़की, आवास आयुक्त, मुख्य अभियन्ता, वित्त नियंत्रक और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के मुख्य वास्तुविद नियोजक को पदेन सदस्य के रूप में और तीन अशासकीय सदस्यों को उपाध्यक्ष के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त परिषद के गठन की व्यवस्था की जाय और उपाध्यक्ष की पदावधि और उनके पारिश्रमिक के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाय।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र सिंह,

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUBHAG-1

No.1241 /79—V-1-07-1(ka)32/2007

Dated Lucknow, July 13, 2007

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2007) as

passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 12, 2007 :–

THE UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2007

(U.P. ACT NO. 11 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the fifty-eighth year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 1 of 1966

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 hereinafter referred as the principal Act for sub-sections (5), (6) and (7) the following sub-sections shall be substituted namely :–

"(5) The Board shall consist of,–

(a) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Housing and Urban Planning Department-*Adhyaksh ex-officio,*

(b) three Upadhyakshas who shall be the non official members appointed by the State Government,

(c) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department-*ex-officio member*,

(d) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Urban Development Department-*ex-officio member*,

(e) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Bureau of Public Enterprises Department-*ex-officio member*,

(f) the Chief Town and Country Planner Uttar Pradesh-*ex-officio member,*

(g) the Director, Central Building Research Institute Roorkee-*ex-officio member,*

(h) the Housing Commissioner, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad-*ex-officio member,*

(i) the Chief Engineer, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad-*ex-officio member,*

(j) the Finance Controller, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas, Parishad-*ex-officio member,*

(k) the Chief Architect Planner, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad-*ex-officio member*,

"(6) The officers referred to in clause (c), clause (d), clause (e), clause (g) may instead of attending a meeting of the Board himself depute an officer next junior to him available in his department to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.

(7) The appointment of an Upadhyaksha referred to in clause (b) shall be notified in the Gazette."

3. In section 4 of the principal Act for the words "the Adhyaksh or a member" the words "an Upadhyaksha" shall be *substituted*. Amendment of section 4

4. For section 5 of the principal Act the following section shall be substituted, namely :– Amendment of section 5

"5. (1) An Upadhyaksha shall hold office for a period of three years unless his term is determined earlier by the State Government by notification in the Gazette. Term of office of Upadhyaksha

(2) An Upadhyaksha may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office and on such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated the office."

5. For section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely – Amendment of section 6

"6. The Udadhyaksha shall be paid from the Board's fund such renuneration as may be prescribed." Provisions regarding office of Upadhyaksha

6. In section 86 of the principal Act, *for* the words "The Adhyaksh" the words "The Adhyaksh, the Upadhyakshas", shall be *substituted*. Amendment of section 86

U.P. Ordinance no. 9 of 2007

7. (1) The Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act no 1 of 1966) has been enacted to provide for the establishment, incorporation and functioning of a Housing and Development Board in Uttar Pradesh. With a view to making the said Act more effective it was decided to amend the said Act to provide for constituting the said Board with the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Housing and Urban Planning Department as the *ex-officio* Adhyaksh, the Principal Secretaries/Secretaries, Finance, Urban Development, Bureau of Public Enterprises Departments and the Chief Town and Country Planner, the Director, Central Building Research Institute, Roorkee, the Housing Commissioner, the Chief Engineer, the Finance Controller and the Chief Architect Planner of the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad as *ex-officio* members and three non-official members as Upadhayakshas and for making provisions for the term of office of Upadhayaksh and their remuneration.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the afroresaid decision, the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 (U.P. Ordinance no. 9 of 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

VIRENDRA SINGH.
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 276 राजपत्र (हि०)–2007–(741)–597 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 159 सा० विधा०–2007–(742)–850 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/आफसेट)।